अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

अजीज वगैरा बनाम पेमाराम बगैरा

किस्म मुकदमा 23 उप. नम्बर 408 / 17

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.12.17 | अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट / प्रार्थी को सुना गया।<br><br>अभिभाषक अपीलांट / प्रार्थी ने अपील बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि वाके चक 2 एमजीएसएम के मुरब्बा नम्बर 61 / 7 के किला नम्बर 1 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 2, 5, 6, 9 तादादी 4 बीघा, किला नम्बर 10 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 11 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 12 से 19 तादादी 8 बीघा, किला नम्बर 20 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 21 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 22 से 25 तादादी 4 बीघा कुल तादादी 19 बीघा कमाण्ड / अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। उक्त आराजी जैर पर समीपवर्ती गांव मगनवाला के वासिन्दों के लिए कब्रिस्तान, ईदगाह व दरगाह बनी हुई है। ग्रामवासियों ने मेहनत व खर्चे से मौके पर तारबन्दी व मुख्य द्वार लगाया हुआ है। ग्रामवासियों के समस्त धार्मिक कियाकलाप नियमित रूप से किये जा रहे है। रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में मौके पर कब्जा करने पर उतारू है। यदि आदेश जैर अपील की आड़ में वादगत् भूमि के मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो स्थानीय शांति भंग होने की पूरी संभावना है। चूंकि वादगत् भूमि धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जानी अपरिहार्य थी। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है।<br><br>जबकि मौके रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि पर मौके पर मुरब्बा नम्बर 61 / 7 के किला नम्बर 21 दरगाह बनी हुई है, व किला नम्बर 18 व 23 मे ईदगाह बनी हुई है। इसी प्रकार किला नम्बर 23 में मौके पर दरवाला लगा हुआ है तथा जिस पर ईदगाह व कब्रिस्तान अंकित है। मौके पर मुरब्बे के चारों तरफ 25 बीघा भूमि पर तारबन्दी की हुई है। ऐसी स्थिति में अदालत | |

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि को संरक्षित नहीं किया गया तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

1. सर्वप्रथम प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश न्याय सम्य, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों व मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत होने व अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है व अपीलांट की अपील अंदर शुमार घोषित की जाती है।

2. प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–08–2017 जो कि अपील संख्या 37/17 उनवान प्रेमाराम बनाम सरकार में पारित किया गया था, की पालना में अपीलांट को वाके चक 2 एमजीएसएम. के मुरब्बा नम्बर 61/7 के किला नम्बर 1 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 2, 5, 6, 9 तादादी 4 बीघा, किला नम्बर 10 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 11 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 12 से 19 तादादी 8 बीघा, किला नम्बर 20 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 21 तादादी 0.12 बीघा, किला नम्बर 22 से 25 तादादी 4 बीघा कुल तादादी 19 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है।

3. हमने पत्रावली के साथ संलग्न वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त मौका रिपोट उपखण्ड अधिकारी कोलायत व उपतहसीलदार, बज्जू के आदेश दिनांक 07–09–17 की पालना में संबंधित पटवार हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होकर मौतबिरानों की उपस्थिति में की गई है। वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट के अनुसार चक 2 एमजीएसएम के मुरब्बा नम्बर 61/7 में कदिमी कब्रिस्तान में दफन किये हुए पुराने व ताजा निसानात् मौजूद पाये गये तथा उक्त मुरब्बा नम्बर 61/7 की कुछ भूमि कब्रिस्तान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा शेष भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. मुरब्बा नम्बर 61/7 के किला नम्बर 21 में दरगाह बनी हुई है व किला नम्बर 18 व 23 में ईदगाह बनी हुई है। किला नम्बर 23 में मौके पर दरवाजा लगा हुआ है जिस पर मौके पर इदगाह व कब्रिस्तान अंकित हैं तथा मौके पर चारों तरफ 25 बीघा भूमि पर तारबन्दी हुई है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों के अनुसार यह गावं लगभग 80 वर्ष से बसा है तभी से इस जगह पर कब्रिस्तान बना हुआ है। जब यह स्थिति मौके पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित थी कि मौके पर कब्रिस्तान है तो अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट के आवंटन से पूर्व इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। जैसा की अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं किया गया है।

5. चूंकि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है व अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पटवारी रिपोर्ट के विपरीत पारित किया जाने से पूर्व वस्तुस्थिति की अनदेखी की गई है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावचेतता बरतनी अपरिहार्य थी। जोकि मौके की रिपोर्ट से परिलक्षित होती है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा व गांव वासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किा गया कि वादगत् भूमि के मौके पर 80 वर्षो से कब्रिस्तान की भूमि चली आ रही है, व ईदगाह व दरगाह बनी हुई है। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बज्जू से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि के मौके पर ग्राम मगनवाला के वांशिदों का कब्रिस्तान व मौके पर ईदगाह व दरगाह बनी हुई है।

6. अदालत मातहत का यह दायित्व था कि वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन से पूर्व उक्त रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त की जानी चाहिए थी। जैसा कि प्रकरण में नहीं किया गया है। तत्पश्चात् अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ चुके थे तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को स्वयं सुओमोटो आदेश को रिव्यू करते हुए वादगत् आराजी के स्थान पर अन्य भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके उनके द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की एतिहात व सावचेतता बरती जाना प्रकट नहीं होता है। केवल मात्र न्यायालय हाजा के निर्णय की आड़ में मामलें को निपटाने की दृष्टि से निर्णय पारित किया गया है जो अपेक्षित नहीं था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की आड़ में मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रकरण में जटिलता

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–09–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशुद्व रूप से उपलब्ध विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर आवंटन करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखित दफ्तर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।